

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). No assessment as such has been made of the effects of the devaluation of the rupee on the Indian economy. Economic situation in the country is, however, kept constantly under review. The Economic Survey 1966-67, which has already been laid on the Table of the House, contains the latest review of the economy. A number of forces operate simultaneously in the economy and it is difficult to isolate the effects of devaluation alone. Export performance depends on the availability of surplus for exports which was adversely affected by the drought. World conditions of demand have also not been favourable on the whole and foreign prices of some of our exports have fallen. Debt service payments have also been rising. The internal price situation was affected, among other things, by adverse agricultural season.

(c) and (d). In order to strengthen the Rupee, the economy has to be strengthened and the productivity of the economy augmented. It is Government's constant endeavour to attain these objectives through all available and feasible instruments of policy.

#### धायकर अधिकारियों द्वारा धायकर का निर्धारण

- 230 श्री एचि राय :  
श्री अर्जुन सिंह मसीरिया :  
श्री मधु सिन्घे :  
श्री सुस० एच० शीखी :  
श्री० राज बल्लोहर मोडिया ।

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कभी ऐसी त्रिकामती मिली है कि धायकर अधिकारी उनके ऐसे शोषों को जिनकी धाय पर धायकर नहीं लगना चाहिये, सभी वर्षों

के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण देना करने को कहते हैं ताकि उनके द्वारा निपटाये गये मामलों की संख्या बढ़ जाये और मामलों का उनका मासिक कोटा पूरा हो जाये;

(ख) क्या यह सच है कि धायकर अधिकारियों की कार्यकुशलता उनके द्वारा निपटाये गये मामलों की संख्या के प्राप्ति पर प्राप्ति जाती है तथा निर्धारण पांच श्रेणियों में वर्गीकृत है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने धायकर विभाग में ऐसे मापदण्डों को बदलने के लिये कोई कदम उठाये हैं जिन से प्रवास्तविक कार्य-भार बढ़ता है और घोषा देने का अवसर मिलता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) धायकर अधिकारियों की कार्य-कुशलता का निर्णय कई बातों के प्राप्ति पर किया जाता है; कार्य की मात्रा उनमें से केवल एक है । मुख्य कसौटी तो कार्य के गुण की है जैसे कर की चोरी का पता लगाना और सही निर्धारण कर करना ।

कार्य की मात्रा के मूल्यांकन के विधि कर-निर्धारण के मामलों को पांच वर्गों में रखा गया है जो मुख्यतः धाय की राशि पर प्राप्ति है । ऐसा करने का कारण यह है कि धाय की बड़ी रकम वाले मामलों में कम धाय के मामलों के मुकाबले अधिक समय लगता है ।

(ग) धायकर अधिकारियों के लिए काम के निर्धारित मानदण्डों की समीक्षा समय समय पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा धायकर आयुक्तों से परामर्श करके की जाती है । एक अधिकारी वर्षभर में कितना काम कर सकता है, इसका वास्तविक अनुमान लगाकर ही मानदण्ड निर्धारित किया जाता है ।